

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ  
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांक:- एफ.11(3) (मों)/बजट घोषणा/मरम्मत./ICDS/2017-18/

जयपुर, दिनांक: 5-7-18

उपनिदेशक

122938-970

महिला एवं बाल विकास विभाग,  
समस्त।

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री महोदया की वित्तीय वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 121 के अनुसार राजकीय भवनों में संचालित मरम्मत योग्य आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों की मरम्मत के प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के क्रम में लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया की वित्तीय वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 121 के अनुसार राजकीय भवनों में संचालित अधिकांश आंगनबाड़ी केन्द्रों के रख-रखाव व सुदृढीकरण का कार्य आगामी तीन वर्षों में 75 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जाना है।

उक्त बजट घोषणा के क्रम में विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए राशि रुपये 5.00 करोड़ के कार्य करवाये जाने है। इस क्रम में प्रथमतः आपके जिले में संचालित बाल विकास परियोजनाओं के अधीन संचालित वे आंगनबाड़ी केन्द्र, जिनके भवन टूटी-फूटी अवस्था में है, जिनकी छत टपकती है एवं वृहद् मरम्मत कार्य करवाया जाना है, उनके परियोजनावार प्रस्ताव जिला स्तर पर संकलित करवाकर प्रस्तुत करवाये जाने अपेक्षित है। ताकि तदनुसार वित्त विभाग को वांछित प्रस्ताव भिजवाये जा सकें।

जिले से प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों के क्रम में यह सुनिश्चित करावे कि परियोजना स्तर से ऐसे आंगनबाड़ी कार्यों के मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जावे, जिनमें मरम्मत की अत्यधिक आवश्यकता है। तथा यह भी सुनिश्चित करावे की परियोजना स्तर से ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्रों जिनके मरम्मत योग्य प्रस्ताव वर्ष 2016-17 व 2017-18 में स्वीकृत किये जा चुके है, सम्मिलित नहीं किये जावे।

उक्त मरम्मत कार्य के लिए कार्यकारी एजेंसी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद है। बाल विकास परियोजना अधिकारी, अपने परियोजना परिक्षेत्र के ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्रों को चिन्हित कर (वर्ष 2016-17 व 2017-18 में स्वीकृत किये गये आंगनबाड़ी केन्द्रों के अतिरिक्त) उनके मरम्मत के तकमीने पंचायत समिति के तकनीकी अधिकारी से तैयार करवाकर जिला कार्यालय को प्रेषित करेंगे, जिनको जिला स्तर पर परियोजनावार संकलित कर, उप निदेशक के माध्यम से निदेशालय को अग्रेषित किया जाएगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके जिले के अधीन संचालित मरम्मत योग्य आंगनबाड़ी केन्द्रों के वांछित प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित कराने के सम्बन्ध में आपके स्तर से भी जिला परिषद, पंचायत समिति एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम करावे। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावे।

  
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.11(3) (मों)/बजट घोषणा/मरम्मत./ICDS/2017-18/

जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5-7-18

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
2. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. आदेश पत्रावली।

  
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर